

दिनांक

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

नम्बर व
अहकास
हुक्म की
से जारी

7-6-24

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 20-6-24 को पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर माण्डल

20/6/24

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर रजि० एडी अप डिलेवरी रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा० प० किया गया । विपक्षीगण अनुपस्थित विपक्षीगण को खिलकी मर्तबा कर-रुक कर आवाजे डिलाफी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है वकील प्रार्थी का शा० पत्र स्वीकार किया जाकर निर्दिष्ट प्रथम से लिखा जाकर शा० प० किया गया । पत्रावली केवल शुमार होकर नम्बर से कम हो

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा



नाम व
अहकाम
हुकम की
में जारी

राजस्थान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

तहसील अधिकारी- मनोज, आर.ए.एस.

दमा संख्या - 218/24 प्रा.पत्र

श्री. रंगलाल शंकराजी नारायण कुमावत निवासी- छाजवो काखेडा तहसील-माण्डल

-प्राथी-

बनाम

श्रीमती सजनी देवी शंकराजी कुमावत निवासी- छाजवो काखेडा तहसील [वगैरा]
[प्रमाणित प्रा.पत्र संख्या]

-विपक्षीय-

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 20-6-24

::आदेश::

की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि
छाजवो काखेडा...पटवार हल्का...कैरिया...तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की
जी नं० 2128/111...कुल किता...0.1...रकबा...0.1265...हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि
पक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता
है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगडी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 07-06-24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को
लेकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगडी कराने का
न्यायालय को अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए
प्रार्थी की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम छाजवो काखेडा तहसील
कैरिया...तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं...2128/111
किता...0.1...रकबा...0.1265...हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये
हेतु पत्थरगडी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगडी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक आलमार
500...रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे
यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगडी की जावें। फसल खाडी होने पर
पत्थरगडी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

तेलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजाकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगडी की
जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा